मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2015

आदेश

क्रमांकः एफ 9- 1 /2015/नियम/चार, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में कार्यरत शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्रकरणों का निराकरण, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पेंशन सेल) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के माध्यम से संभागीय पेंशन अधिकारी भोपाल को भेजे जाते हैं। पेंशन भुगतान राज्य के बाहर होने के कारण महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर के माध्यम से तीस हजारी कोषालय, नई दिल्ली से प्रथम पेंशन भुगतान किये जाने की वर्तमान व्यवस्था से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के पेंशन भुगतान में विलम्ब होता है ।

2/ मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की उक्त व्यावहारिक असुविधा एवं पेंशन भुगतान में विलंब को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली के सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण, संभागीय पेंशन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा निराकृत किये जावेगें तथा प्रथम पेंशन भुगतान हेतु कोषालय अधिकारी, मोती महल कोषालय ग्वालियर से होगा । कोषालय अधिकारी, मोतीमहल ग्वालियर के द्वारा पेंशन का भुगतान उप-कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के माध्यम से किया जायेगा ।

3/ उपरोक्त व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल की एकल नस्ती क्रमांक /1007/प्र.स./सा.प्र.वि./2015 दिनांक 02-02-2015 पर दिए गए अनुमोदन के आधार पर लागू की जाती है।

(अनिरूद्ध मुखर्जी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sumita/1/2014

पृ.क्रं.: एफ 9-1/2015/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश झांसी रोड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली 2-गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया आदेश अनुसार पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन अधिकारी, ग्वालियर को प्रस्तुत करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. 26 किसान भवन अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. संभागीय पेंशन अधिकारी, ग्वालियर/भोपाल की ओर पालनार्थ ।
7. कोषालय अधिकारी, मोतीमहल कोषालय ग्वालियर की ओर पालनार्थ ।
8. कोषालय अधिकारी, गोरखी कोषालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
9. उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

Sunita/D/2014